

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
संख्या-01जी/ई० स्था०-20-21/13-

प्रेषक,

अनिता कुमारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-

विषय:-सेवा निवृत्त कर्मी को संविदा पर नियुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि इस विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय यथा उप निदेशक कल्याण कार्यालय बिहार, जिला कल्याण कार्यालय बिहार एवं अनुमण्डल कल्याण कार्यालय में कर्मी के अभाव में कार्य प्रभावित होने की सूचना के साथ-साथ सेवा निवृत्त कर्मी को संविदा पर नियुक्त करने के लिये उक्त कार्यालयों द्वारा सीधे अधियाचना इस विभाग को भेजी जा रही है, जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प/ज्ञापांक-10000, दिनांक-10.07.2015 के अनुकूल नहीं है।

अतएव उपर अंकित कार्यालय, यदि संविदा पर नियुक्त करने हेतु जिला स्तर पर गठित चयन समिति से अधियाचना करती है तो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प/ज्ञापांक-10000, दिनांक-10.07.2015 में निहित प्रावधानों के तहद् विज्ञापन निकाल कर इच्छुक सेवा निवृत्त कर्मी से आवेदन प्राप्त कर जिला स्तर पर गठित चयन समिति से अनुशंसा के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संबंधित कार्यालय को भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अनिता कुमारी),

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01जी/ई० स्था०-20-21/13-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-सभी उप निदेशक क०/सभी जिला क०पदा० बिहार/सभी अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

2-उन्हें निदेश है कि कार्य आवश्यकता को देखते हुए यदि सेवा निवृत्त कर्मी से कार्य लेना अनिवार्य है तो सीधे अधियाचना जिला स्तर पर गठित चयन समिति अर्थात् जिला पदाधिकारी से की जाय।


ह०/-


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01जी/ई० स्था०-20-21/13-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-सुश्री रजनीबाला, आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग बिहार को निदेश है कि इस पत्र को इस विभाग के वेबसाइट एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर लोड करने का कष्ट की जाय।


7/4/16


सरकार के अवर सचिव।